



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/ 360

—:आदेश:—

दिनांक 27/9/24

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का भाटून्द तथा तहसीलदार बाली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाटून्द तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 59 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाटून्द	59	कालाराम पुत्र सांकलाराम	कालाराम उर्फ कालूराम पुत्र सांकलाराम



क्रमांक/कोर्ट/2024/ 2051-53  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का पैरवा को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र सांकलाराम जाति सरगडा निवासी भाटून्द तह. बाली को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी एवं बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली  
दिनांक 27-9-2024

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
सह उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली